संख्या-26/2025/358/77-6-25-6099/355/2022-पार्ट-1/1900247

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक** 27.03.2025

विषय- 'विश्व आर्थिक फोरम की बैठक' हेतु व्यय धनराशि रू. 10,00,00,000.00 (रूपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यूपी के पत्र संख्या-36/बजट/2024-25, दिनांक 06.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 'विश्व आर्थिक फोरम की बैठक' मद में प्राविधानित धनराशि रू. 10,00,00,000.00 (रूपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में अनुदान संख्या -7 के लेखा-शीर्ष 2852- उद्योग, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 34- 'विश्व आर्थिक फोरम की बैठक' -42 अन्य व्यय के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू. 10,00,00,000.00 (रूपये दस करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि इन्वेस्ट यू0पी0 को अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा रखा जाएगा।
4. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा,जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
6. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा इन्वेस्ट यू0पी0 को उपलब्ध कराए जायेंगे।
8. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
9. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इन्वेस्ट यू0पी0 आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
10. किसी भी वित्तीय अनियिमतता के लिए इन्वेस्ट यू0पी0 उत्तरदायी होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000.00 (रूपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808003400 विश्व आर्थिक फोरम की बैठक मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-209-X-2024-25, दिनांक 04.03.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

पीयूष वर्मा

विशेष सचिव।

<u>संख्या-26/2025/358(1)/77-6-25-6099/355/2022-पार्ट-1/1900247तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के पत्र संख्या-36/बजट/2024-25, दिनांक 06.02.2025 के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-1/4
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।